न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ.

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 242 / 2026

अथमलगोला थाना कांड सं0 57 / 2026

अंतर्गत धारा 191(2)(3), 190, 109(1) भारतीय दंड संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम

1. कमलेश यादव उर्फ कमलेश कुमार, उम्र– 34 वर्ष एवं
2. रमेश यादव उर्फ रमेश कुमार, उम्र– 24 वर्ष, दोनों पिता– सत्येन्द्र यादव, ग्राम– लक्ष्मणपुर, थाना– बख्तियारपुर, जिला– पटना।

.....आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार

..... अभियोजन

उपस्थिति

आवेदकगण की ओर से	:	विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रजकिशोर नारायण,
अभियोजन की ओर से	:	विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अर्जुन शर्मा,
सूचक की ओर से	:	विद्वान अधिवक्ता श्री राम कुमार सिंह,

18.05.2026

1. आवेदकगण की ओर से गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दिनांक 10.03.2026 को यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन पर सुना।

2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया है। आवेदकगण निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन के द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल झूठा है। प्राथमिकी में जिस प्रकार बताया गया है उस प्रकार की घटना नहीं हुई है। आवेदकगण पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदकगण के पास से कोई आग्नेयास्त्र या गोली बरामद नहीं किया गया है। कोई मारपीट नहीं किया गया है तथा गोली चलाने की बात गलत है। आवेदकगण के विरूद्ध धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम के तहत मामला नहीं बनता है, अन्य सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति के है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। आवेदक को ग्रामीण दुश्मनी के कारण झुठे केस में फंसा दिया गया है। आवेदकगण न्यायालय की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार है, इसलिए इन्हें किसी भी शर्त का जमानत दिया जाय, जमानतदार देने को तैयार हैं।

3. अभियोजन ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है।

4. उपर्युक्त अग्रिम जमानत पर उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे पता चलता है कि प्रस्तुत मामला में सूचक के द्वारा यह अभियोग लगया गया है कि प्रत्येक दिन की तरह दिनांक 23.02.2026 को संध्या में अपने घर से निकल कर बाथरूम करने के लिए खंधा पर जा रहा था। उसी बीच दो गुटों में झगड़ा होने के कारण गोली चला रहा था और मैं बाथरूम जा रहा था। तभी सत्येन्द्र यादव, कमलेश यादव एवं रमेश यादव एवं दो अज्ञात लोगों के द्वारा गोली चलाया जा रहा था, जो मुझे दाहिना गाल में आकर लगा और बायें आंख के कोना से छेद करते हुए बाहर निकल गया। मैं खुन से लथपथ बेहोश होकर वहीं गिर गया। हल्ला होने पर मेरे परिजन के द्वारा ईलाज कराने के लिए अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़ ले गए जहां से बेहतर ईलाज हेतु एन.एम.सी.एच. पटना भेजा गया। मेरा दावा है कि उपरोक्त लोगों के द्वारा चलाये गए मुझे लगा है।

5. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एवं अभिलेख का अवलोकन किया। कांड दैनिकी अभिलेख के साथ संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि कांड दैनिकी के कंडिका 7 में घटनास्थल के बारे में बताया गया है जिसमें यह भी उल्लेख है कि घटनास्थल का निरीक्षण के क्रम में पाया कि सबनिमा पुल के दक्षिणी छोर पर अधिक मात्रा में खून गिरा हुआ था के पास से एक खोखा बरामद हुआ तथा पुल के बाद ग्राम लक्ष्मणपुर जाने वाली सड़क के पुरबी किनारे पर एक और खोखा बरामद हुआ, कंडिका 16 में वादी सह जख्मी का बयान है, कंडिका 17 एवं 18 के साक्षियों के द्वारा घटना का पूर्ण समर्थन किया गया है, कंडिका 40 में वादी का पुनः बयान है जिसमें वादी के द्वारा

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ.

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 242/2026

अथमलगोला थाना कांड सं0 57/2026

लगातार

18.05.2026 प्राथमिकी एवं घटना का पूर्ण समर्थन किया गया है, 41 में प्रस्तुति सह जप्ती सूची है जिसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा वादी से जख्मी के द्वारा घटना के समय पहने हुए कपड़ा जिसपर खुन लगा हुआ पाया गया, कंडिका 135 में जख्म प्रतिवेदन है जिसमें कारित जख्म गंभीर प्रकृति का पाया गया है।

6. इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कांड दैनिकी के अनुसार कारित जख्म गंभीर प्रकृति का मामला प्रतीत होने एवं आवेदकगण की प्रत्यक्ष संलिप्तता आदि सभी तथ्यों पर विचार के उपरांत आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर उपनिहित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदकगण का यह अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है। इस आदेश में की गई टिप्पणी जमानत आवेदन निष्पादन होने तक सीमित है, इस कांड में अन्वेषण, जांच या विचारण के स्तर पर गुण–दोष को प्रभावित नहीं करेगा।

लेखापित एवं शुद्धित
Sd/-
(अमित कुमार दीक्षित)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ़